25

प्रपत्र–3

परियोजना का नामः–

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाय।

परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बंधी आदेशों की प्रतियाँ संलग्न हैं।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

नोट :–उक्त सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

संख्या– 790 / XLI-1 / 2013–79 / 13

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादून: दिनांक: 22 अगस्त, 2013

विषय– जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त संस्थान ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार संचालित किया जायेगा।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार 15 दिन के भीतर भूमि, भवन, पाठ्यक्रम एवं पदों का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक–यथोपरि।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को इस आशय के साथ प्रेषित कि पॉलीटेक्निक संस्थानों की स्थापना हेतु शहरी क्षेत्रों में 2.5 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। अतः सम्बन्धित स्थान को दृष्टिगत रखते हुये तत्काल निःशुल्क भूमि का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु।
3. अध्यक्ष, ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली।
4. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग), उत्तराखण्ड

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग), उत्तराखण्ड

संख्या–1287/XLI-1/2013–107/

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 03 मार्च, 2014

विषयः– **राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के अनावासीय भवनों के निर्माण हे धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 2 राजकीय पॉलीटैक्निक संस्थानों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु उ0प्र0राजकीय निर्माण निग देहरादून द्वारा संकलित रूप से गठित विस्तृत आगणन ₹6195.22 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत/अनुमोदित आगणन सिविल कार्य हेतु–₹765.62 लाख तथ उत्तराखंण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो हेतु ₹5346.69 लाख अर्थात कुल ₹6112.31 लाख (रूपये इकसठ करोड़ बारह लाख इकतीस हजार मात्र) क प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये, ₹1441.35 लाख (रूपये चौदह करो इकतालीस लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुये व्यय करने क सहर्ष स्वीकृति अधोल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

क0 सं0	राजकीय पॉलीटेक्निक का नाम	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत आगणन (लाख ₹ में)		
		सिविल कार्य	अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य	कुल संस्तुत आगणन
1	2	3	4	5
1.	सतपुली (पौडी)	36.34	245.03	281.37
2.	गापेश्वर (चमोली)	43.17	285.89	329.06
3.	बड़कोट(उत्तरकाशी)	40.57	288.20	328.77
4.	पंतनगर (उधमसिंहनगर)	32.80	237.09	269.89
5.	धौनलिया(अल्मोड़ा)	38.28	279.94	318.22
6.	मल्लासालम (अल्मोड़ा)	38.28	287.02	325.30
7.	गरूड़ (बागेश्वर)	40.31	267.45	307.76
8.	काण्डा(बागेश्वर)	40.31	266.99	307.30
9.	कुलसारी (चमोली)	41.94	294.51	336.45
10.	पोखरी (चमोली)	41.55	281.13	322.68
11.	गैरसैण(चमोली)	39.41	295.28	334.69
12.	जाखणीधार (टिहरी)	38.30	257.99	296.29
13	ओखला प्रतापनगर (टिहरी)	41.34	289.60	330.94
14.	गजा (टिहरी)	36.32	248.95	285.27
15.	भलस्वागाज (हरिद्वार)	34.42	235.47	269.89
16.	खटीमा(उधमसिंहनगर)	33.03	236.86	269.89
17.	टनकपुर (चम्पावत)	33.03	236.86	269.89
18.	दनिया (अल्मोड़ा)	37.50	277.58	315.08

प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

--------2

1	2	3	4	5
19.	चोपता (रूद्रप्रयाग)	40.14	303.54	343.68
20.	क्वांसी चकराता (देहरादून)	38.58	231.31	269.89
	कुल योग–	**765.62**	**5346.69**	**6112.31**

(1) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(2) कार्य पद मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(3) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्ठियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(4) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(5) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(6) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।

(7) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

(8) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश सं0–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत ओदशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(9) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुये भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब की दशा में आंगणन पुनरीक्षित पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के संबंध में थर्ड पार्टी चंकिग की व्यवस्था की जाय जिसके सापेक्ष होने वाला व्यय देय सेन्टेज चार्जेज के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

(11) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(12) मैदानी क्षेत्र में प्रस्तावित 6 पॉलीटेक्निक यथा रा0पा0 पंतनगर (उधमसिंहनगर), रा0पा0 भलस्वागाज (हरिद्वार), रा0पा0 खटीमा (उधमसिंहनगर) तथा रा0पा0 टनकपुर (चम्पावत) मैदानी क्षेत्र में हैं, इनमें प्रशासनिक भवन, प्रयोगशालाओं को सिविल स्ट्रक्चर में तथा क्लास रूम आदि को Pre engineering structure में तैयार कराया जायेगा। यदि सिविल कार्य से लागत में वृद्धि होती है, तो उसे टी0ए0सी0 से पुनः परीक्षण करा लिया जायेगा। जबकि अन्य पॉलीटैक्निक Pre engineered structure में ही तैयार कराया जाये।

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

(13) बाजार में Pre engineered structure Set के अलग–अलग मॉडल उपलब्ध हैं, इसमें किसी एक मॉडल न लगा कर कई प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले अच्छे मॉडल के लगाया जाये, ताकि भविष्य में इनकी गुणवत्ता का तुलनात्मक मूल्यांकन किया जा सके।

(14) सभी संस्थानों के भवनों के Common space/street light में L.E.D. light का प्राविधान किया जायेगा तथा Power backup के लिये Generator set का प्राविधान भी कर लिया जाये।

(15) निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व प्रथम चरण के सभी सुसंगत प्रकियात्मक कार्यो को पूर्ण करा लिया जाये।

(16) निर्माण कार्य समय पर पूर्ण हो तथा Cost over run ना हो, यह सुनिश्चित कर लिया जाये।

(17) उपरोक्त तालिका में अंकित राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के अनावासीय भवन निर्माण हेतु निम्न तालिकानुसार पूर्व में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का वर्तमान में प्रस्तावित प्री–इंजीनियर्ड तकनीकी के आधार पर किये जाने के फलस्वरूप आगणित धनराशि में समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जायें:–

(धनराशि लाख रूपये में)

क0सं0	संस्थान का नाम	स्वीकृत धनराशि
1. ✓	रा0पा0 दनिया	8.94
2 ✓	रा0पा0 कुलसारी	9.73
3. ✓	रा0पा0 खटीमा	9.73
4. ✓	रा0पा0 सतपुली	7.45
5.	रा0पा0 प्रतापनगर	25.00
6. ✓	रा0पा0 गजा	9.73
7. ✓	रा0पा0चकराता क्वांसी	9.73
8. ✓	रा0पा0 गैरसैण	9.73
9. ✓	रा0पा0 गरूड	66.67

(18) विशेष आयोजनागत सहायता के अन्तर्गत आच्छादित राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के भवन निर्माण कार्य हेतु धनराशि राज्यांश/केन्द्रांश के आधार पर आवंटित की जायेगी।

(19) प्रश्नगत निर्माण कार्यो की निरन्तर समीक्षा कर मासिक प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. प्रश्नगत कार्य हेतु टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत आगणन की एक प्रति आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–02–तकनीकी शिक्षा–104–बहुशिल्प–आयोजनागत–03–राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरूष/महिला) भवन निर्माण/सुदृढ़ीकरण–00–24–वृहत निर्माण कार्य मद" के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–260(P)/XXVII(3)/2013–14 दिनॉक 28 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

30 (48)

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. कोषाधिकारी, श्रीनगर।
5. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 देहरादून।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य / समन्वयक, राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–3 / नियोजन अनुभाग।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. बजट राजकोषीय प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0टोलिया)
उप सचिव।

प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड